BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION No. 08/2021 (CZ)

Krishna Gopal Bairagi

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors.

REPORT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, MPPCB

IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 23.05.2023 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL

Report of Member Secretary in compliance of the order dated 23.05.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A No. 08/2021 (CZ)

Krishna Gopal Bairagi Vs State of Madhya Pradesh & Ors

Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal has issued the following directions vide order dated 23.05.2021 in the O.A No. 08/2021 (CZ) Krishna Gopal Bairagi Versus State of Madhya Pradesh & Ors.:-

> *4. The report reveals that approximately 24 brick kilns/stocks were there in operation and the contention of the Pollution Control Board is that the officer responsible for the inspection and enforcement of the environmental rules are not aware about the operation of the brick kilns, which shows the carelessness of the officer concerned. The concerned Regional Officer of MPPCB is directed to state on affidavit as to why the action has not been taken or initiated earlier against the violators of law as the brick kilns were in operation for long without the consent of the Board.*
>
> *5. Learned Counsel for the State Sh. Sachin K. Verma has clearly submitted that the necessary permission have not been taken by the operator of the brick kilns. He has further stated that devastating environmental harms has been affected on the site of the river, its ecology, vegetation and the flow of the river.*
>
> *6. In view of the above we direct the Member Secretary, Pollution Control Board to call explanation from the officials concerned and to submit the report with his personal observations. Respondents are directed to submit their reply and Action Taken Report by the Pollution Control Board as well as Collector be filed before the next date of listing.*

In compliance of the directions passed by the Hon'ble tribunal letter dated 29/05/2023 was issued to the Regional Officer, Bhopal calling explanation for not initiating timely action against the defaulting brick kilns. The copy of letter dated 29/05/2023 has been enclosed herewith as **Annexure – 1.**

OBSERVATIONS:

- The allegations made by the petitioner primarily pertain to the non-compliances by Vijasan Dham colony constructed near River Sevan, Sehore.
- During the inspection carried out by the Joint Committee constituted by the Hon'ble Tribunal in February 2022, it was observed that several brick kilns have been established on the bank of River Sevan. Survey, measurement and demarcation of the area was carried out by the team of District Administration.
- The survey report was submitted before the Hon'ble Tribunal on 27.04.2022. Regional Office, MPPCB, Bhopal issued letter vide dated 30/05/2022 to Nagar Palika Prashashan, Sehore, and Tehsildar, Sehore for submission of action taken report in compliance to Hon'ble Tribunal order dated 27.04.2022 regarding removal of brick kilns.
- That, Nagar Palika Prashashan, Sehore vide letter dated 16.06.2022 submitted the information. As per the information provided, notices were issued by Regional Officer, Bhopal to the Brick kilns to remove from Buffer zone of River Seevan
- Notices were issued to 24 brick kilns vide letter dated 26/08/2022 for closing of operation and shifting from the buffer zone. Tehsildar vide letter dated 20/09/2022 informed that the brick kilns are closed down.
- That, during the inspection dated 29.04.2023, Collector Office, Sehore provided the letter of Tehsildar, Sehore dated 02.03.2023 to the Regional Officer, Bhopal mentioning that brick kilns have completely stopped and remaining stock is being shifting from the buffer zone. Brick kilns operators have submitted the affidavit mentioning that they will not operate brick kilns in this area. Copy is enclosed as **Annexure – 2 (colly)**

CONCLUSION :-

- In view of the fact that these 24 Brick Kilns belong to the persons from a specified community who make the traditional handmade bricks are exempted vide letter of State Government dated 24.09.2019 from paying royalty, obtaining mining lease for the use of soil and other permissions for brick manufacturing.

- However, these brick kilns were established within 30 meters buffer zone of River Sevan which can not be permitted. It appears that Regional Officer, Bhopal has taken sufficient steps for coordinating with the concerned departments and ensuring that the work of brick manufacturing is stopped with immediate effect and also the that the structures are removed from the site.

- The undersigned has further directed all the officers of the Board to be more vigilant about the violations happening in their area and take strict actions against the violators in a time bound manner.

(Chandra Mohan Thakur)
Member Secretary
M.P. Pollution Control
Board

140

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

LiFE Lifestyle for Environment

पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016

Fax No :+91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1533 /विधि/ NGT(CZ)/प्रनिबो/23 भोपाल,दिनांक 29 MAY 2023

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल ।

विषय :- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्र.क. 08/2021 में दिनांक 23.05.23 को पारित आदेश के अनुपालन में स्पस्टीकरण बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क. 08/2021(कृष्ण कुमार बैरागी विरूद्व मध्यप्रदेश शासन) में दिनांक 23.05.23 को पारित आदेश के बिन्दु 4 एवं 6 का अवलोकन हो । (प्रति संलग्न)

4 ***The report reveals that approximately 24 brick kilns/stocks were there in operation and the contention of the Pollution Control Board is that the officer responsible for the inspection and enforcement of the environmental rules are not aware about the operation of the brick kilns, which shows the carelessness of the officer concerned. The concerned Regional Officer of MPPCB is directed to state on affidavit as to why the action has not been taken or initiated earlier against the violators of law as the brick kilns were in operation for long without the consent of the Board.***

6 *In view of the above* ***we direct the Member Secretary, Pollution Control Board to call explanation from the officials concerned and to submit the report with his personal observations. Respondents are directed to submit their reply and Action Taken Report by the Pollution Control Board as well as Collector be filed before the next date of listing.***

आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ईटभट्टो द्वारा उल्लघंन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही क्यो नही की गई, जबकि लगभग 24 ईटभट्टे बोर्ड की सहमति के बिना लंबे समय से संचालित है, के संबंध में अपना स्पस्टीकरण व्यक्तिगत टिप्पणीयों के साथ 10 दिवस मे रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा इस आश्य का शपथपत्र माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1 श्री ए.ए.मिश्रा, डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2 श्री एच.एस.मालवीय,अधीक्षण यंत्री(यूनिट हेड-भोपाल), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3 निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं माननीय अधिकरण द्वारा प्र.क. 08/2021 में दिनांक 23.05.23 को पारित आदेश के पैरा 6 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4 श्रीमती पारूल भदौरिया, अधिवक्ता (रिटेनर), भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

ACTION TAKEN REPORT

Action taken report in reference to Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 17.03.2023 in OA no. 8/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors.

Hon'ble NGT in the matter of OA 08/2021 Shri Krishna Gopal Bairagi v/s Govt. Of M.P. & Ors, a site visit of Vijasan Dhaam Colony, Sehore has issued following order on dated 17/03/2023 :-

> *3. State Pollution Control Board is further directed to reply specifically regarding status and details of consent for operation of Brick Kilns, which are reported to be located near Sivan river. The demarcation and identification of the land must be taken up by the Revenue Authorities/Collector in accordance with law so that there should not be any further encroachment.*

In reference to the order of Hon'ble NGT an inspection was conducted by the officials of RO, MPPCB Bhopal on dated 29/04/2023 along with the official of District collector office, Sehore. The photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-I**. The observations noted during the inspection are as follows:-

1. As per the record brick kilns have not obtain the consent of board. Notices are issued to the operators of bricks kilns vide letter dated 26/08/2022 instructing not to operate brick kilns in the catchment of River Seevan near Bijasandham colony.
2. During inspection River Seevan was found dry and no flow is observed. River Seevan is located on the southern side of the Vijasan Colony, Sehore.
3. No discharge from septic tank o discharge of wastewater was found is observed flowing towards Seevan river during the inspection.
4. During the inspection of river seeven near the Vijasandham Colony, there are 05-06 brick stocks were observed. The rest of the brick kilns are removed from the site.
5. No new brick kilns operation near the Vijasandham Colony is observed.
6. Tehsildar (Town) Sehore vide letter dated 02.03.2023 has provided information of removal of encroachment of bricks Kilns. The letter is enclosed as **Annexure-II.** The details are as under:-
   i. The operation of bricks Kline is completely stopped by the operators.
   ii. Bricks operators submitted an affidavit before the court mentioning that no new brick manufacturing will be commissioned in this area.
   iii. 05-06 operators have completely removed the brick Kilns from the specified area.
   iv. The rest of brick kilns are in process of removal of bricks from the specified area.

(Subodh Bhargava)
Junior Scientist
RO, MPPCB Bhopal

(Brajesh Sharma)
Regional Officer
RO, MPPCB, Bhopal

Annexure-I

Inspection Photographs

Annexure-II

न्यायालय तहसीलदार (नगर) सीहोर, जिला सीहोर

क्रमांक 252/रीडर/2023

सीहोर दिनांक ~~28/2/23~~ 2/3/23

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा0),
अनुभाग–सीहोर,जिला सीहोर

विषय :– माननीय एन0जी0टी0 के आदेश का पालन करने बावत।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0 819/री–2/2023 सीहोर दिनॉक 07/02/2023

000000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में सीवन नदी के बफर ज़ोन से ईट भट्टो को हटवाये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– इस संबंध में तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर ईंट भट्टा संचालकों को अतिक्रमण स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये गये थें । तत्पश्चात ईंट भट्टा संचालकों द्वारा वर्तमान में ईंट निर्माण कार्य पूर्णतः बंद कर दिया गया है। एवं उनके द्वारा भविष्य में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का नवीन ईंट निर्माण नहीं करने के संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में मौके पर से 5–6 संचालकों द्वारा अपने ईंट भट्टे पूर्णतः हटा लिये गये है एवं ईंटों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अन्य संचालकों द्वारा अपूर्ण ईंट एवं मिट्टी निरंतर हटायी जा रही है । वर्तमान में बिजासन धाम कॉलोनीवासियों द्वारा ईंट भट्टा संचालन पूर्णतः बंद होने की पुष्टि की गई है।

संलग्न :– पटवारी प्रतिवेदन/पंचनामा/शपथपत्र।

02/3/23

तहसीलदार
सीहोर नगर

तहसीलदार(नगर)
तहसील–सीहोर

NOTARY RAJEEV MISHRA ADVOCATE M.P. GOVT (INDIA)

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) सीहोर(म.प्र.)

शपथ–पत्र

हम मनोज राय आ0 बिहारीलाल, सुरेश प्रजापति आ0 गुलाब सिंह, हेमराज प्रजापति आ0 रतनलाल,, व अन्य सभी निवासी कुम्हार मोहल्ला गंज तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) के होकर शपथ–पूर्वक कथन करते हैं कि।

1. यह कि हमारे द्वारा सीवन नदी के किनारे पर ईट भट्टो का कार्य संचालन किया जाता था। लेकिन माननीय न्यायालय के निर्देषानुसार हम लोगों को उक्त स्थान से हटाने हेतु निर्देष दिये गयें है। अपने कच्चा माल जैसे की मिट्टी, कच्ची ईट, पक्की ईट, व अन्य मटेरियल का उक्त स्थान से हस्तांतरित किया जा रहा है। लेकिन कुछ सामान और हस्तांतरित कर रहे है।
2. यह कि हमारे द्वारा 07 दिवस में ही हमारे ईट भट्टों का काम हटा लिया जायेगा।
3. यह कि हमारे द्वारा कोई भी नव निर्माण नही किया जा रहा है और ना ही भविष्य मे किया जावेगा।

सुरेश प्रजापति मनोज
आशीष प्रजापति हेमराज प्रजापति अंकित प्रजापति
नितेश बिसनु

//प्रमाणीकरण//

हम मनोज राय आ0 बिहारीलाल, सुरेश प्रजापति आ0 गुलाब सिंह, हेमराज प्रजापति आ0 रतनलाल, व सभी निवासी कुम्हार मोहल्ला गंज तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) के होकर शपथ–पूर्वक कथन करते है कि शपथ पत्र में वर्णित सभी कथन सत्य एवं सही है। व स्थान दिनांक–27/02/2023 को सीहोर नगर में प्रमाणित किया गया है।

सुरेश प्रजापति मनोज
हेमराज प्रजापति अंकित प्रजापति
आशीष प्रजापति नितेश बिसनु

IDENTIFIED BY
NAME राजु प्रजापति
ADDRESS
SIGNATURE राजु प्रजापति

SWORN BEFORE ME
27/2/2023
RAJEEV KUMAR MISHRA,NOTRY ADVOCATE

न्यायालय तहसीलदार (नगर) सीहोर, जिला सीहोर

क्रमांक 317 / रीडर / 2023

सीहोर दिनांक 10 / 03 / 23

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा0),
अनुभाग–सीहोर,जिला सीहोर

विषय :– माननीय एन0जी0टी0 के आदेश का पालन करने वावत।
संदर्भ :– आपका पत्र क0 819 / री–2 / 2023 सीहोर दिनॉक 07 / 02 / 2023

000000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में सीवन नदी के वफर जोन से ईट भट्टो को हटवाये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– इस संबंध में तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर ईट भट्टा संचालकों को अतिक्रमण स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये गये थें । तत्पश्चात ईंट भट्टा संचालकों द्वारा वर्तमान में ईट निर्माण कार्य पूर्णतः वंद कर दिया गया है। एवं उनके द्वारा भविष्य में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का नवीन ईंट निर्माण नहीं करने के संबंध में न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में मौके पर से 5 संचालक घनश्याम आ0 छीतू, वल्लू आ0 छीतू, सुरेश आ0 भागीरथ, देवकरण, जितेंद्र आ0 धनराज द्वारा अपने ईंट भट्टे पूर्णतः हटा लिये गये है एवं ईंटों की संख्या अत्यधिक होने के कारण अन्य संचालकों द्वारा अपूर्ण ईट एवं मिट्टी निरंतर हटायी जा रही है । वर्तमान में विजासन धाम कॉलोनीवासियों द्वारा ईट भट्टा संचालन पूर्णतः वंद होने की पुष्टि की गई है।

संलग्न :– पटवारी प्रतिवेदन / पंचनामा /शपथपत्र।

10/3/23

तहसीलदार (नगर)
तहसील–सीहोर

समक्ष श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सीहोर(म.प्र.)

(शपथ–पत्र)

(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए स्टाम्प शुल्क माफ)

1. विष्णू प्रजापति आ0 स्व. श्री गोपाल चौधरी, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
2. राजकुमार प्रजापति आ0 स्व. श्री नर्मदा प्रसाद, अयु वयस्क, जाति कुम्हार
3. धर्मराज प्रजापति आ0 श्री भूरा प्रजापित आयु वयस्क,
4. योगेश. प्रजापति आ0 श्री हेमराज प्रजापति आयु वयस्क,
5. राजू प्रजापति आ0 श्री सुरेश प्रजापति, आयु वयस्क,
6. कैलाश प्रजापति आ0 श्री भागीरथ प्रजापित आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
7. रमेश प्रजापति आ0 श्री रमेश प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार
8. जसरथ प्रजापति आ0 श्री भागीरथ प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
9. प्रवीण प्रजापति आ0 श्री रतनसिंह प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार
10. पप्पू प्रजापित आ0 स्व. श्री रामू प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
11. निक्कू प्रजापित आ0 स्व. श्री भोलराम प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार
12. दिलीप प्रजापति आ0 श्री शिवप्रसाद, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
13. बंटी प्रजापति आ0 शिवप्रसाद प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
14. मुकेश प्रजापति आ0 श्री शिवप्रसाद प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
15. दिनेश प्रजापति आ0 श्री चरण प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
16. दीपक प्रजापति आ0 श्री चरण प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
17. जीवन प्रजापति आ0 चरण सिंह प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
18. गोलू प्रजापति आ0 श्री चरण प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार,
19. मनोज राय आ0 श्री बिहारी लाल राय, आयु वयस्क, जाति कलार,

क्रमांक–01 से 11 निवासीगण कुम्हार मोहल्ला गंज तहसील व जिला सीहोर
क्रमांक–12 से 18 निवासी ग्राम सुदेश नगर सीहोर तहसील व जिला सीहोर
क्रमांक–19 निवासी बड़िया खेडी तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) के होकर

शपथ–पूर्वक कथन करते हैं कि।

1. यह कि हमारे द्वारा सीवन नदी के किनारे पर ईट भट्टो का कार्य संचालन किया जाता था। लेकिन माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोगों को उक्त स्थान से हटाने हेतु निर्देश दिये गयें है। अपने कच्चा माल जैसे की मिट्टी, कच्ची ईट, पक्की ईट, व अन्य मटेरियल का उक्त स्थान से हस्तांतरित किया जा रहा है। लेकिन कुछ सामान हस्तांतरित कर लिया गया है। कुछ और समान हस्तांतरित कर रहे है। जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।
2. यह कि हमारे द्वारा 07 दिवस में ही हमारे ईट भट्टों का काम हटा लिया जायेगा।
3. यह कि हमारे द्वारा कोई भी नव निर्माण नही किया जा रहा है और ना ही भविष्य मे किया जावेगा।

शपथकर्ता

1. विष्णू प्रजापति......विष्णू......., 2. राजकुमार......राजकुमार......3. धर्मराज......धर्मराज......

4. योगेश प्रजापति......योगेश......5. राजू प्रजापति......राजू......6.. कैलाश प्रजापति......[illegible]......

निरंतर......

रमेश प्रजापति.................8. जसरथ प्रजापति.................9.दिलीप प्रजापति.................

10. बंटी प्रजापति.................11.मुकेश प्रजापति.................12. मनोज राय.................

13. पप्पू प्रजापति.................14. दिनेश प्रजापति.................15.दीपक प्रजापति.................

16. जीवन प्रजापति.................17. गोलू प्रजापति.................18. प्रवीण प्रजापति.................

19. निक्कू प्रजापति.................

//प्रमाणीकरण//

हम विष्णू प्रजापति आ0 स्व. श्री गोपाल चौधरी, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, राजकुमार प्रजापति आ0 स्व. श्री नर्मदा प्रसाद, अयु वयस्क, जाति कुम्हार, धर्मराज प्रजापति आ0 श्री भूरा प्रजापित आयु वयस्क, योगेश प्रजापति आ0 श्री हेमराज प्रजापति आयु वयस्क, राजू प्रजापति आ0 श्री सुरेश प्रजापति, आयु वयस्क, कैलाश प्रजापति आ0 श्री मागीरथ प्रजापित आयु वयस्क, जाति कुम्हार, रमेश प्रजापति आ0 श्री रमेश प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हा जसरथ प्रजापति आ0 श्री भागीरथ प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार, प्रवीण प्रजापति आ श्री रतनसिंह प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार पप्पू प्रजापित आ0 स्व. श्री रामू प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, निक्कू प्रजापित आ0 स्व. श्री भोलराम प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार दिलीप प्रजापति आ0 श्री शिवप्रसाद, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, बंटी प्रजापति आ0 शिवप्रसाद प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, मुकेश प्रजापति आ0 श्री शिवप्रसाद प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, दिनेश प्रजापति आ0 श्री चरण प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार, दीपक प्रजापति आ0 श्री चरण प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार, जीवन प्रजापति आ0 चरण सिंह प्रजापति, आयु वयस्क, जाति कुम्हार, गोलू प्रजापति आ0 श्री चर प्रजापति आयु वयस्क, जाति कुम्हार, मनोज राय आ0 श्री बिहारी लाल राय, आयु वयस्क, जाति कलार, क्रमांक–01 से 11 निवासीगण कुम्हार मोहल्ला गंज तहसील व जिला सीहोर क्रमांक–12 से 18 निवासी ग्राम सुदेश नगर सीहोर तहसील व जिला सीहोर क्रमांक–निवासी बड़िया खेडी तहसील व जिला सीहोर के होकर शपथ–पूर्वक कथन करते कि शपथ पत्र में वर्णित सभी कथन सत्य एवं सही है। व स्था दिनांक–10/03/2023 को सीहोर नगर में प्रमाणित किया गया है।

IDENTIFIED BY
NAME
ADDRESS
SIGNATURE

शपथकर्तागण

1. विष्णू प्रजापति................. 2. राजकुमार................. 3. धर्मराज.................

20. योगेश प्रजापति.................5. राजू प्रजापति.................6.. कैलाश प्रजापति.................

7. रमेश प्रजापति.................8. जसरथ प्रजापति.................9.दिलीप प्रजापति.................

10. बंटी प्रजापति.................11.मुकेश प्रजापति.................12. मनोज राय.................

13. पप्पू प्रजापति.................14. दिनेश प्रजापति.................15.दीपक प्रजापति.................

16. जीवन प्रजापति.................17. गोलू प्रजापति.................18. प्रवीण प्रजापति.................

19.निक्कू प्रजापति.................

NOTARY

SWORN BEFORE ME

10/3/2023

RAJEEV KUMAR MISHRA NOTARY ADVOCATE

ईट भट्टा धारको की सूची

क.	नाम एवं पद	पता
1.	श्री निंचकू आत्मज श्री भोला पंजापति, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
2.	श्री विष्णुप्रसाद आत्मज श्री गोपाल चौधरी, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
3.	श्री राजकुमार आत्मज श्री नर्मदाप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
4.	श्री धर्मराज आत्मज श्री भूरा, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
5.	श्री योगेश आत्मज श्री हेमराज, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
6.	श्री राजू आत्मज श्री सुरेश, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
7.	श्री घनश्याम आत्मज श्री छीतूलाल, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
8.	श्री बल्लू आत्मज श्री छीतूलाल, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
9.	श्री सुरेश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
10.	श्री कैलाश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
11.	श्री रमेश आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
12.	श्री जसमत आत्मज श्री भागीरथ, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
13.	श्री देवकरण, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
14.	श्री दिलीप आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
15.	श्री बंटी प्रजापति आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
16.	श्री मुकेश आत्मज श्री शिवप्रसाद, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
17.	श्री जितेन्द्र आत्मज श्री धनराज, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
18.	श्री मनोज आत्मज श्री बिहारी, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
19.	श्री पप्पू आत्मज श्री रामू, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
20.	श्री दिनेश आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
21.	श्री दिपक आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
22.	श्री जीवन आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
23.	श्री गोलू आत्मज श्री चरनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.
24.	श्री प्रवीण आत्मज श्री रतनसिंह, ईट भट्टा संचालक	खसरा क. 483, ग्राम- छावनी,तहसील सीहोर नगर, जिला सीहोर, म.प्र.

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील – सीहोर नगर

विषय – माननीय एन0जी0टी के निर्देशानुसार ग्राम छावनी के खसरा कमांक – 474 एवं 482 के सीमांकन बावत्।

संदर्भ – कार्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर नगर के पत्र कमांक – 599/रीडर/2022 सीहोर दिनांक 01/02/2022 के संदर्भ में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में ग्राम छावनी स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 474 एवं 482 का सीमांकन पूर्व कार्यालय अधीक्षक भू– अभिलेख सीहोर द्वारा दिनांक 24/07/2019 को किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। माननीय एन0 जी0 टी0 के निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के परिपालन में कार्यालय तहसीलदार तहसील सीहोर के द्वारा गठित दल अनुसार पुनः मौके पर वफर जोन हेतु सीमांकन किया गया । जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।

1. यह कि ग्राम छावनी में संलग्न नक्शे अनुसार भूमि खसरा कमांक 484 नोईयत – नदी के नाम से दर्ज है एवं खसरे के कॉलम नं0 12 में ''**सीवन नदी**'' दर्ज हैं। उक्त खसरे में निर्देशासनुसार 30 मीटर के वफर जोन में खसरा कमांक 483 स्थित है। जोकि नोईयत– खदान निस्तार के नाम से दर्ज है एवं खसरे के कॉलम नं 12 में ''**जैर एहतमाम महकमा ईट बनाने मिट्टी निकालने हेतु**'' टिप्पणी दर्ज है। उक्त खसरा कमांक 483 में वर्तमान में ईट भट्टे लगे हुए हैं। जिसकी सूची पृथक से संलग्न है।
2. यह कि ग्राम छावनी में मूल नदी का खसरा कमांक 484 नोईयत– नदी के उत्तर पूर्व से सहायक शाखा खसरा कमांक 474 एवं 482 निकली है जो कि पुनः आगे जाकर दक्षिण पश्चिम दिशा में पुनः नदी में मिल गई है। खसरा कमांक 474 एवं 482 की नोईयत ''नदी नाला'' अभिलेख में दर्ज है।
3. यह कि ग्राम छावनी स्थित उक्त खसरा कमांक 474 एवं 482 नोईयत– नदी नाला के उत्तर दिशा भूमि खसरा कमांक 481–486/2–490/1/3–490/1/4 स्थित है, जोकि भूमिस्वामी स्वत्व में है एवं स्थल पर **बीजासेन धाम कालोनी** स्थित है। मूल नदी नाला के शासकीय खसरा कमांक 474 एवं 482 की सीमा से उत्तर दिशा में 15 मीटर का सीमांकन किया गया। उसमें स्थित भूखण्ड एवं मकानों की सूची पृथक से संलग्न है। उक्त भूखण्ड एवं मकान भूमिस्वामी स्वत्व में खसरा कमांक 481–486/2–490/1/3–490/1/4 के भाग में स्थित है।

अतैव प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

संलग्न – 1. ईट भट्टों की सूची
2. 15 m के दायरे वाले भूखण्ड धारकों की सूची

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
जिला व तह. सीहोर

खसरा कमांक 483 नोईयत – खदान में स्थित जोकि नदी खसरा कमांक 484 की सीमा के पश्चात् 30 मीटर की की परिधी में स्थित ईंट भट्टा धारको की सूची

कमांक	सीमा से लगा नदी नाला का खसरा कमांक	30 मीटर परिधी में स्थित ईंट भट्टा धारकों का नाम	खसरा कमांक जिसमें ईंट भट्टा स्थित है	निर्माण का प्रकार	टीप
1.	484	निक्कू पिता भोला प्रजापति	483	ईंट भट्टा	
2.	484	विष्णुप्रसाद आ0 गोपाल चौधरी	483	ईंट भट्टा	
3.	484	राजकुमार आ0 नर्बदाप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
4.	484	धर्मराज आ0 भूरा	483	ईंट भट्टा	
5.	484	योगेश आ0 हेमराज	483	ईंट भट्टा	
6.	484	राजू आ0 सुरेश	483	ईंट भट्टा	
✓7.	484	घनश्याम आ0 छीतूलाल	483	ईंट भट्टा	
✓8.	484	बल्लू आ0 छीतूलाल	483	ईंट भट्टा	
✓9	484	सुरेश आ0 भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
10	484	कैलाश आ भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
11	484	रमेश आ भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
12	484	जसमत आ0 भागीरथ	483	ईंट भट्टा	
13	484	देवकरण	483	ईंट भट्टा	
14	484	दिलीप आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
15	484	बंटी प्रजापति आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
16	484	मुकेश आ0 शिवप्रसाद	483	ईंट भट्टा	
17	484	जितेंद्र आ0 धनराज	483	ईंट भट्टा	
18	484	मनोज आ0 बिहारी	483	ईंट भट्टा	
19	484	पप्पू आ रामू	483	ईंट भट्टा	
20	484	दिनेश आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
21	484	दिपक आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
22	484	जीवन आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
23	484	गोलू आ0 चरनसिंह	483	ईंट भट्टा	
24	484	प्रवीण आ0 रतनसिंह	483	ईंट भट्टा	

धीरेन्द्र वर्मा
राजस्व निरीक्षक
जिला व तह. सीहोर

नक्शा - अक्श

ग्राम -

प.ह.न. - 04

तह. सीहोर नगर

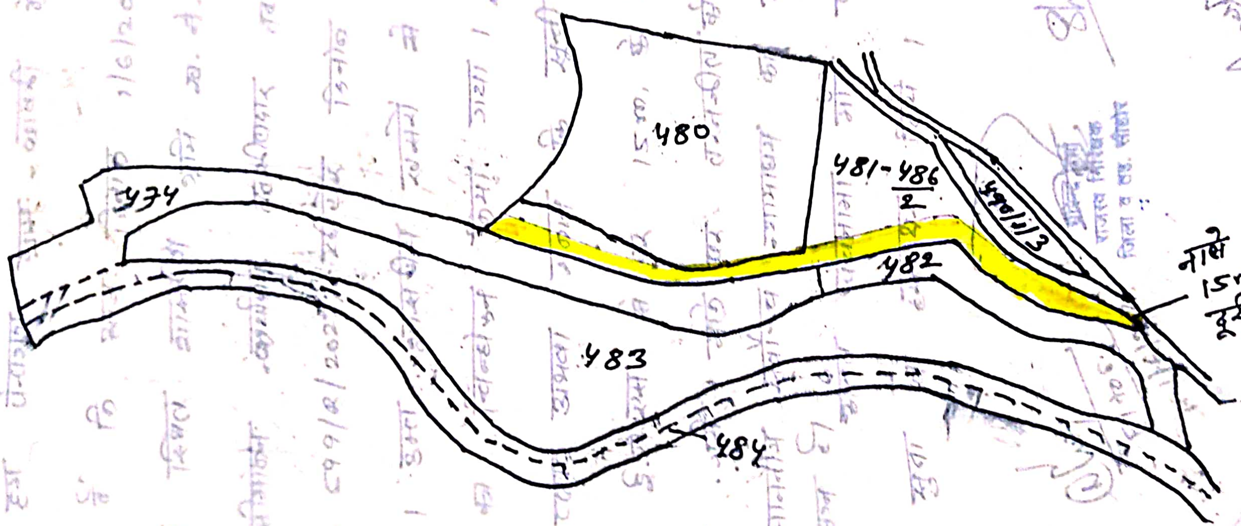

राजस्व निरीक्षक

सह सीहोर

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

तह०- रतिहो/नागर

विषय :- ईंट भट्टो का संचालन बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम- छावनी (स्थित बेगन घाट में पूर्व में था ईंट भट्टो का संचालन कई वर्षों से हो रहा था। माननीय एन.जी.टी. के आदेश उपरान्त वर्तमान में ईंट भट्टो का संचालन बन्द कर नवीन भट्टो का निर्माण नही हो रहा है। मौके पर काफी मात्रा में ईंट रखी हुई, जिन्हे ईंट भट्टे धारको द्वारा निरंतर हटाया जा रहा है। लगभग 12 ईंट भट्टे धारक मौके पर से हट गए है, शेष 12 भट्टे धारको का संचालन पूरी तरह से बंद है। केवल स्टॉक शेष है, जिसे वह निरंतर हटा रहे है। ईंट भट्टे हटाने वालो की सूची निम्नानुसार है।

1. शिवप्रसाद आ० गोपाल चौधरी
2. राजकुमार पिता नर्वदाप्रसाद
3. राजू आ० सुरेश
4. घनश्याम आ० छोटेलाल
5. बल्लू आ० छोटेलाल
6. सुरेश आ० भागीरथ
7. रमेश आ० भागीरथ
8. देवकरण
9. मुकेश आ० शिवप्रसाद
10. जितेन्द्र आ० धनराज
11. दिनेश आ० चन्द्रसिंह
12. गोलू आ० चन्द्रसिंह

अतः प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

(signature)
(पटवारी) ह.न. 45
29/04/2023